फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर   मुकाम अलवर

इस्लाम .... बनाम .... साहब्दीन आदि

नाम मुकदमा 88, 89 रा.का.अ. नं० .... सन् ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
[illegible]01/23	पत्रावली वकील वादी द्वारा धारा 88, 89 रा० का० अधि० के तहत पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। उभयपक्ष को नोटिस जारी हो। पत्रावली दि० 27/01/2023 को पेश हो।	
27/1/23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 23/2/23 को पेश हो। रीडर	
23-2-23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 21-6-23 को पेश हो। रीडर	
21-6-23	वकील वादी उप०, तलबी हेतु [illegible] एवं तलबाना पेश करने हेतु पत्रावली दि० 13-7-23 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 27-7-23 को पेश हो। 9.8.012 की [illegible] रीडर [illegible] हुआ	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	27-7-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 10-8-23 को पेश हो। रीडर
	10-8-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29-8-23 को पेश हो। रीडर
	29-8-23 वकील वादी/... पर का कार्य स्थगन होने के ... वास्ते... दिनांक 12-9-23 को पेश हो।
	12-9-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 20-11-23 को पेश हो। रीडर
	20-11-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 4-1-24 को पेश हो। रीडर
	4-1-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 6-2-24 को पेश हो। रीडर
	6/2/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 2/4/24 को पेश हो। रीडर

फर्द अहकाम

[नियम 26]

ाज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

रस्म मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2-4-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 7-5-24 को पेश हो।	
	7-5-24 वकील वादी/अकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते दिनांक 9-7-24 को पेश हो।	
	9-7-24 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अभिभाषक राजीनामा तहरीर करवाकर बाबत और अभिभाषक से हस्ताक्षर करवाये गये पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20-8-24 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
	20-8-24 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अभिभाषक निर्णय पृथक से लिखवाकर जारी किया न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली मय फैसले के बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रतीक जुईकर (आई.ए.एस.)

दावा संख्या 1/9 | तारीख दायर 11.01.2023 | तारीख निर्णय 20–08–2024

बउनवान

1:–इरफान पुत्र श्री आस मौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास तहसील व जिला अलवर

बनाम, वादी

1:–साहबदीन पुत्र श्री भुरे खॉ जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास तहसील अलवर जिला अलवर

2:–फजरूदीन पुत्र श्री भुरे खॉ जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास तहसील व जिला अलवर

असल प्रतिवादिनी

3:–राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, अलवर, तहसील अलवर जिला अलवर

तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी ने धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिन वादी कानून में आस्था व विश्वास सरखने वाला एक सभ्य ग्रामीण व्यक्ति है जो खेती बाडी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है हाल आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर मे स्थित है जो उक्त वाद मे विवादित आराजी है एवं विवादित आराजी से सम्बोधित की गई है विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर मे प्रतिवादी संख्या 1 साहबदीन का 1/3 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 0.34 हेक्टेयर वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर जिला अलवर का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 साहबदीन रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर मे अपना हिस्सा 1/3 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 0.34 हेक्टेयर सम्पूर्ण मे से 14/34 हिस्सा की बाबत एक रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 को मिन वादी के हक में निष्पादित की गई जो रजिस्टर्ड उपहार पत्र उप पंजीयक, बहादुरपुर, अलवर जिला अलवर में पंजीकृत की गई थी जिस रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1206 दिनांक 10.05. 2022 को वादी के पक्ष में सही अमल होकर दर्ज किया गया

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 के भाई आसमौहम्मद पुत्र भूरे खॉ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर में से अपना 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर जिला अलवर की बाबत जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 को अपने पुत्र वादी इरफान के हक में निष्पादित किया गया जिसका इन्तकाल संख्या 1203 दिनांक 18.04.2022 को वादी इरफान के नाम सही अमल दरामद किया गया। इन्तकाल संख्या 1203 दिनांक 18.04.2022 के अनुसार मिन वादी के नाम हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 में आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर मे वादी का हिस्सा 1/3 अंकित किया गया , प्रशासन गाँवो के संग अभियान के दौरान प्रार्थना पत्र विभाजन अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम भुल्ला का बास तहसील व जिला अलवर में आराजी खसरा नम्बर 995 व 996 का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बंटवारा किया गया जिसमें सहबन से प्रतिवादी संख्या 1 साहबदीन के नाम आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.3450 हेक्टेयर का 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 फजरूदीन का हिस्सा भी 1/2 अंकित कर दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मिन वादी के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर में अपना 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा का जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र किया जा चुका था जिसका इन्तकाल दर्ज होकर जमाबन्दी मे अमल दरामद भी हो गया था लेकिन उक्त बंटवारा में मिन वादी का जो प्रतिवादी साहबनदीन द्वारा उपहार पत्र वादी के हक में तहरीर व तकमील किया गया था जिसका हिस्सा उपहार पत्र व जमाबन्दी के अनुसार मिन वादी के नाम अंकित नही किया गया एवं ना ही पूर्व राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी, इन्तकाल आदि से उसका कोई मिलान किया गया एवं बेजा व गलत प्रकार से आपस मे साज बाज होकर मिन वादी के हिस्से की आराजी को हडप करने की नियत से उसका हिस्सा अंकित नही किया गया और प्रशासन गाँवो के संग अभियोजन मे किये गये

बंटवारा में गलत इन्द्राज के आधार पर हाल जमाबन्दी में उसका अंकन हो गया इसलिये विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 का हाल खसरा नम्बर 1481/996 में जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित किया गया है जिसको कलमजन किया जाकर मिन वादी के नाम रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 व इन्तकाल व जमाबन्दी के अनुसार अमल दरामद कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है इसलिये यह वाद पत्र पेश करना लाजिमी आया है

प्रशासन गाँवो के संग अभियान के दौरान प्रार्थना पत्र विभाजन अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित आराजी की बाबत गलत किये गये इन्द्राज से मिन वादी के हक व हकूक जायल होते है इसलिये उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है।

विवादित आराजी का गलत इन्द्राज के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम का अंकन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिन वादी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पेदा कर रहे है एवं दिनांक 26.12.2022 को भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा गलत इन्द्राज की आड मे मिन वादी के उपयोग व

उपखण्ड अधिकारी
भलावर

Scanned with OKEN Scanner

उपभोग में रूकावट व मजाहमत पैदा की ओर वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने व आराजी को दीगर लोगो को बेचान करने की धमकी दी जिनको बमुश्किल रोका गया अगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने बेजा मकसदो मे कामयाब हो गये तो मिन वादी को ऐसी नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिये मिन वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुकुमइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है इसलिये यह वाद पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

मिन वादी द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में विवादित आराजी को मिन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 9 के मौखिक निवेदन किया गया था लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा आज तक कोई कार्यवाही अमल मे नहीं लाई गई है।

दावा हाजा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 26.12.2022 को पैदा होती है जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा मिन वादी को विवादित आराजी मे उसके हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास किया एवं मिन वादी को उपयोग व उपभोग में रूकावट व मजाहमत पैदा की जिससे दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

मौजूदा वाद में तहसीलदार अलवर को लेण्ड होल्डर के नाते फोरमल पक्षकार बनाया गया है और तहसीलदार, अलवर के खिलाफ कोई अनुतोष चाहा नहीं गया है इसलिये दफा 80 सी पी सी की पालना आवश्यक नही है।

विवादित आराजी वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर में स्थित है एवं पक्षकारान भी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में निवास करते है जिससे यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य व क्षेत्राधिकार मे है।

अतः वाद पत्र मिन वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न प्रकार डिकी सादिर फरमाई जावे किः—

बाबत घोषणात्मक व इश्तकरारहक एवं दुरुस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर कि डिकी सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 का हाल खसरा नम्बर 1481/996 में जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित किया गया है जिसको कलमजन किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर मे अपना हिस्सा 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा मिन वादी के नाम रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 व इन्तकाल व जमाबन्दी के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे नाम अमल दरामद किये जाने की डिकी पारित की जावे।

दावा बाबत हुकुमइम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी विवादित विवादित आराजी खसंरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर वाके ग्गाम भुल्ला का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर मे मिन वादी को कब्जे काश्त व सरसो की फसल काटने समटने आदि कृषि कार्य में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे व मिन वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करे व प्रतिवादीगण राजस्व रिकोर्ड की आड मे विवादित आराजी को किसी भी दीगर व्यक्ति

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

को रहन बय हिबा आदि से मुन्तकिल व मकफुल ना करे व एवं मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे पाबन्द रहे बाज आवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी वकील द्वारा मात्र जबाव पेश किया गया कि वाद पत्र का चरण संख्या 1 जिस कदर बयान किया गया है सही है स्वीकार है यह सही है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर में स्थित है कि वाद पत्र का चरण संख्या 3 जिस कदर बयान किया गया है जिसमे यह स्वीकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर मे प्रतिवादी संख्या 1 साहबदीन का 1/3 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 0.34 हेक्टेयर वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर जिला अलवर का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 साहबदीन रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर मे अपना हिस्सा 1/3 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 0.34 हेक्टेयर सम्पूर्ण मे से 14/34 हिस्सा की बाबत एक रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 को वादी के हक में निष्पादित की गई जो रजिस्टर्ड उपहार पत्र उप पंजीयक, बहादुरपुर, अलवर जिला अलवर मे पंजीकृत की गई थी जिस रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1206 दिनांक 10.05.2022 को वादी के पक्ष में सही अमल होकर दर्ज किया गया

यह है कि वाद पत्र का चरण संख्या 4 जिस कदर बयान किया गया है सही है स्वीकार है यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 के भाई आसमौहम्मद पुत्र भूरे खाँ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर में से अपना 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण वाके ग्राम भुल्ला का बास, अलवर जिला अलवर कीं बाबत जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 को अपने पुत्र वादी इरफान के हक में निष्पादित किया गया जिसका इन्तकाल संख्या 1203 दिनांक 18.04.2022 को वादी इरफान के नाम सही अमल दरामद किया गया ।

वाद पत्र का चरण संख्या 5 जिस कदर बयान किया गया है सही है स्वीकार है यह सही है कि इन्तकाल संख्या 1203 दिनांक 18.04.2022 के अनुसार वादी के नाम हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 में आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर मे वादी का हिस्सा 1/3 अंकित किया गया

वाद पत्र का चरण संख्या 6 जिस कदर बयान किया गया है सही है स्वीकार है यह स्वीकार है कि प्रशासन गाँवो के संग अभियान के दौरान प्रार्थना पत्र विभाजन अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम भुल्ला का बास तहसील व जिला अलवर में आराजी खसरा नम्बर 995 व 996 का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बंटवारा किया गया जिसमें सहबन से प्रतिवादी संख्या 1 साहबदीन के नाम आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.3450 हेक्टेयर का 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 फजरूदीन का हिस्सा भी 1/2 अंकित कर दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

996 रकबा 0.52 हेक्टेयर मे अपना 1/3 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा का जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र किया जा चुका था जिसका इन्तकाल दर्ज होकर जमाबन्दी मे अमल दरामद भी हो गया था लेकिन उक्त बंटवारा में वादी का जो प्रतिवादी साहबनदीन द्वारा उपहार पत्र वादी के हक में तहरीर व तकमील किया गया था जिसका हिस्सा उपहार पत्र व जमाबन्दी के अनुसार वादी के नाम अंकित नही किया गया एव ना ही पूर्व राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी, इन्तकाल आदि से उसका कोई मिलान किया गया तथा प्रशासन गाँवो के संग अभियोजन मे किये गये बंटवारा मे गलत इन्द्राज के आधार पर हाल जमाबन्दी मे उसका अंकन हो गया इसलिये विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 का हाल खसरा नम्बर 1481/996 मे जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित किया गया है जिसको कलमजन किया जाकर वादी के नाम रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 व इन्तकाल व जमाबन्दी के अनुसार अमल दरामद कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति या ऐतराज नही है। वाद पत्र का चरण संख्या 7 जिस कदर बयान किया गया है सही है स्वीकार है। वाद पत्र का चरण स0 8 जिस कदर बयान किया गया है जिसमे यह कहना गलत है कि हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा कर रहे हो जबकि वादी अपने हिस्से की आराजी पर आज भी काबिज है

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 का हाल खसरा नम्बर 1481/996 में जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित किया गया है जिसको कलमजन किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.52 हेक्टेयर में अपना हिस्सा 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा वादी के नाम रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 व इन्तकाल व जमाबन्दी के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति या ऐतराज नही है।

साथ ही वादी/प्रतिवादी द्वारा लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया कि वादी एंव प्रतिवादी के बीच मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और वादी एंव प्रतिवादीगण आपस मे सगे भाई है अत उक्त वाद को राजीनामा के आधार पर डिकी फरमाया जाना आवश्यक है जिसमे प्रतिवादीगण स0 1 एंव 2 को कोई आपत्ति नही है और ना ही भविष्य मे होगी अतः प्रकरण मे राजीनामा के आधार पर दावा डिकी फरमाये जाने की कृपा करे।

अतः राजीनामा के आधार पर वाद वादी निम्न प्रकार से ड्रिकी किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 996 का हाल खसरा नम्बर 1481/996 रकबा 0.3450 मे जो प्रतिवादी स0 1 (साहबदीन) के नाम 1/2 हिस्सा अंकित किया गया है उक्त हिस्से को कलमजन किया जाकर आराजी खसरा न0 1481/996 रकबा 0.3450 है0 मे अपना हिस्सा 1/3 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा अर्थात (1/6) हिस्सा मिन वादी के नाम रजिर्स्टड उपहार पत्र 202203139100650 दिनॉक 02-3-2022 के अनुसार स्वीकृत नामान्तकरण स0 1207 दिनॉक 30-05-2022 के अमल से हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित खसरा नम्बर 1481/996 रकबा 0.3450 है0 मे साहबदीन पुत्र भूरे खॉ का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर.

हिस्सा 1/2 के स्थान पर हिस्सा 1/4 दर्ज किया जावे एंव उपहारग्रहिता इरफान पुत्र आसमौहम्मद का हिस्सा 1/4 दर्ज कर राजस्व रिकॉड मे अंकन किया जावे तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

(प्रतीक जईकर)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 20–08–24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रतीक जईकर)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रतीक जुईकर (आई.ए.एस.)

दावा संख्या
1/9

तारीख दायर
11.01.2023
बउनवान

तारीख निर्णय
20–08–2024

1:–इरफान पुत्र श्री आस मौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास तहसील व जिला अलवर

बनाम, वादी

1:–साहबदीन पुत्र श्री भुरे खॉ जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास तहसील अलवर जिला अलवर

2:–फजरूदीन पुत्र श्री भुरे खॉ जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास तहसील व जिला अलवर

असल प्रतिवादिनी

3:–राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, अलवर, तहसील अलवर जिला अलवर

तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पर्चा डिक्री दिनॉक 20–08–2024

दावा वादीगण निम्न प्रकार से ड्रिकी किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 996 का हाल खसरा नम्बर 1481/996 रकबा 0.3450 मे जो प्रतिवादी स0 1 (साहबदीन) के नाम 1/2 हिस्सा अंकित किया गया है उक्त हिस्से को कलमजन किया जाकर आराजी खसरा न0 1481/996 रकबा 0.3450 है0 मे अपना हिस्सा 1/3 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा अर्थात (1/6) हिस्सा मिन वादी के नाम रजिर्स्टड उपहार पत्र 202203139100650 दिनॉक 02–3–2022 के अनुसार स्वीकृत नामान्तकरण स0 1207 दिनॉक 30–05–2022 के अमल से हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित खसरा नम्बर 1481/996 रकबा 0.3450 है0 मे साहबदीन पुत्र भुरे खॉ का हिस्सा 1/2 के स्थान पर हिस्सा 1/4 दर्ज किया जावे एंव उपहारग्रहिता इरफान पुत्र आसमौहम्मद का हिस्सा 1/4 दर्ज कर राजस्व रिकॉड मे अंकन किया जावे तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है।

(प्रतीक जुईकर)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner